



सिपेट: सी.एस.टी.एस.-हाजीपुर/प्रशिक्षण सेल/2023-24  
CIPET:CSTS-HAJIPUR/TRAINING CELL/2023-24

दिनांक: 30.08.2023  
Date: 30.08.2023

**परिपत्र / CIRCULAR**

**Contitution of SC/ST Committee**

यह समिति ए.आई.सी.टी.ई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, 1989 की संख्या 33, दिनांक: 11.09.1989 के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य समिति का गठन किया गया है।

This committee is formed as per the guidelines of AICTE and Scheduled Castes and the Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) act 1989, No.33 of 1989, dated: 11.09.1989, committee for SC/ST is constituted to prevent offences of atrocities against the members of SC/ST.

Sl. No.	Name of the official (Sh./Shri/Mrs./Ms.)	Designation	Responsibility	Contact no.
1	Sanjay Kumar Choudhary	Director & Head	Chairman	7489928501
2	Purushottam Kumar Ram	Technician Gr-I	Co-ordinator	9135189716
3	Subodh Kumar	Technical Asst. Gr-III	Member	9801103899

संबंधित कर्मचारी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र और उनके माता-पिता किसी भी शिकायत के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए गठित समिति से संपर्क कर सकते हैं।

Concerned employees, SC/ST student and their parents may hence forth approach the committee for SC/ST for any complaint that falls under the perview of above act.

*(Signature)*  
30/08/2023

निदेशक एवं प्रमुख / Director & Head

प्रति / Copy to :

1. सभी संबंधित / All concerned
2. सूचना पट्ट / Notice Board

